

THE FACTORIES ACT, 1948

STATEMENT 1 (REVISED)

Number of registered factories and workers employed

State.....

For the year ending.....

Category of Factories	Number of factories on register at the beginning of the period	Number of factories newly licensed & registered during the period	Number of factories removed from the register during the period	Number of factories on the register at the end of the period	Number of working factories	Number of factories submitting returns	Average daily number of workers employed in the factories submitting returns	Number of factories not submitting returns	Estimated average daily employment in factories not submitting returns	Total average daily number of workers employed in factories submitting returns and not submitting returns (Total of columns 8 & 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Factories as defined under Section 2m(i)										
Factories as defined under Section 2m(ii)										
Factories as notified under Section 85.										
GRAND TOTAL										

STATEMENT 1-A (REVISED)

Factories carrying on processes or operations declared dangerous under Section 87 and workers employed in such operations

State.....

For the year ending.....

Industry Division of Industries *	Dangerous processes/ operations	Number of working factories	Average daily number of workers employed in the entire factory	Average daily number of workers employed in dangerous processes of operations
1	2	3	4	5

*As per National Industrial Classification, 2008. Give Code Number (2 digit) and Name of Division of Industry.

STATEMENT II (REVISED)

Number of working factories and employment in working factories

State.....

For the year ending.....

Industry*	Total number of working factories	Factories submitting returns												
		Total number of working factories submitting returns	Number of man hours worked inclusive of overtime hours				Total number of man- days worked during the year	Average daily number of workers employed						
			Men	Women	Child- ren	Tot- al		Tot- al	Adults		Adoles- cents		Childr- en	
									Men	Wo- men	Males	Fe- males	Boys	Girls
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
GOVERNMENT & LOCAL FUND (PUBLIC SECTOR)**														

0) Section of Industry (one digit)																		
00) Division of Industries (two digit)																		
000) Group of Industries(three digit)																		
0000)Class of Industries under each Division of Industries (five digit)																		
Total –All Industries (combining all Sections of Industries) Government and Local Fund Factories.																		

*As per National Industries Classification2008 . Gove Code Number and Name of Industry

**Coverage of 'Public and Private 'Sectors.

I. Government and Local Fund Factories (Public Sector)

Establishment in Public Sector means an establishment owned, controlled or managed by

(i)The Government or the Department of the Government;

(ii)A Government Company as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956 ;

(iii)A Corporation (including Co-operative Society) established by or under a Central, Provincial or State Act, which is owned controlled or managed by Government ; and

(iv) A Local Authority.

II. Other Factories (Private Sector)

Establishment in Private Sector means an establishment which is not an establishment in Public Sector.

STATEMENT II (REVISED) –concl.d.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	Factories not submitting returns		Average daily number of workers employed in factories submitting returns & not submitting returns (Total of columns 9 and 17)
															Number of working factories	Estimated average daily Number of workers employed in such factories	
GOVERNMENT AND LOCAL FUND FACTORIES PUBLIC SECTOR																	
(0)Section of Industries (one digit)																	
(00)Division of Industries (two digit)																	
(000)Group of Industries (three digit)																	

(00000)Class of Industries under each division of Industries (five digit)																		
Total – All Industries (combining all Sections of Industries Government and Local Fund Factories.																		
OTHER FACTORIES (PRIVATE SECTOR)																		
As for Government & Local Fund Factories																		
Total – All Industries (combining all Sections of Industries) Other Factories.																		
GRAND TOTAL-All Industries(combining all Sections i.e.,Public+Private)																		

STATEMENT III

Distribution of working factories submitting returns according to working strength

State.....

For the year ending.....

Industry	Less than 10 workers		10 or more but less than 20 workers		20 or more but less than 50 workers		50 or more but less than 100 workers		100 or more but less than 500 workers		500 or more but less than 1000 workers		1000 or more but less than 5000 workers		5000 or more workers		Total	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Division of Industries																		
Total																		

STATEMENT IV

Distribution of working factories submitting returns according to number of days worked

State

For the year ending.....

Industry	60 days or less		More than 60 but not more than 120 days		More than 120 but not more than 180 days		More than 180 but not more than 240 days		More than 240 but not more than 300 days		More than 300 days		Total	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Division of Industries*														
Total														

A - Number of Factories.

B - Average daily number of workers employed.

* Give Code Number (2 digit) and Name of Division of Industry following the National Industrial Classification, 2008.

STATEMENT - V

Fatal and Non-fatal Accidents in Factories submitting returns

State :-.....

For the year ending

Industry	Number of fatal accidents	Number of non-fatal accidents	Accidents in which the workers returned to work during the current year			
			Occurring during the current year		Occurring during the previous year	
1	2	3	Number	Mandays lost	Number	Mandays lost
1	2	3	4	5	6	7
Division of Industries*						
Total						

* Give Code Number (2 digit) and Name of Division of Industry following the National Industrial Classification, 2008.

STATEMENT-VI
Accidents analysed by Causes

State

For the year ending

Industry	Prime movers, steam, gas and other engines, electric motors(not electric shocks)		Machinery moved by mechanical power																																												
			Transmission Machinery				Lifting machinery		Machine tools for metal working				Wood working machinery						Rollers of Calendars mixers, etc not for metal or wood working ("nip") accidents		Others																										
			Shifting		Belts, ropes, Pulley's and gearing				Power presses(ot her than punches)		Others		Circular saws (all types)		Planing machines		Vertical						Others																								
																	Spindle Moulding Machines																														
101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112																									
A		B		A		B		A		B		A		B		A		B		A		B																									
2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25	
Division of Industries*																																															
Total																																															

STATEMENT – VI contd.

Industry	Transport (whether moved by power or not)																Others							
	Railway				Other Vehicles (excluding hand trucks, boggies etc.)				Electricity		Explosions		Fires		Gassing		Molten Metal, other hot or corrosive sub-stances		Machinery not moved by mechanical power					
	Power Shunted		Manually Shunted		Driven by power		Manually handled												Lifting Machinery		Others			
	113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123			
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B						
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		
Division of Industries*																								
Total																								

STATEMENT –VI conclud

Industry	Use of hand tools		Others													Others		Total of all injuries	
			Struck by falling body	Persons Falling						Stepping on or striking against the object	Handing goods or articles								
				Falling from height	falling on the flat		Falling into pits excavations etc.												
	124	125	125	126	127	128	129	130	131	132									
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
1	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
Division of Industries*																			
Total																			

STATEMENT VII

Accidents analyzed by age and sex

State

For the year ending

Industry	Number of Accidents													
	Adults				Adolescents				Children				Total	
	Men		Women		Males		Females		Boys		Girls			
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Division of Industries*														
Total														

*Give Code Number (2 digit) and Name of Division of Industry following the National Industrial Classification, 2008.

A – Fatal Accidents.

B – Non-fatal Accidents.

STATEMENT – VIII (REVISED)

Number of cases of Poisoning and Diseases notified under Section 89

State

For the year ending

Industry	Lead Poisoning	Lead Tetraethyl Poisoning	Phosphorus Poisoning	Mercury Poisoning	Manganese Poisoning	Arsenic Poisoning	Poisoning by nitrous Fumes	Carbon Bisulphide Poisoning	Benzene Poisoning	Chrome Ulceration	Anthrax	Silicosis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Division of Industries *													
Total													

STATEMENT – VIII (conclud.)

Industry	Poisoning by halogens or their derivatives	Pathologic manifestations due to radioactive substances or 'X' Rays	Primary Epitheliomatous cancer of the skin	Toxic anaemia	Toxic Jaundice	Oil Cancer or Dermatitis	Byssionosis	Occupational or contact Dermatitis	Noise Induced hearing loss	Asbestosis	Total
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Division of Industry*											
Total											

* As per National Industrial Classification, 2008. Give Code Number (2 digit) and the Name of Division of Industries.

STATEMENT - IX

Distribution of Factories submitting returns and their employment according to * Average Number of Hours Worked per week

State.....

For the year ending.....

Industry	For Adult Men										Up to 42 hours For Adult Women									
	Up to 42 hours		Above 42 up to 45 hours		Above 45 up to 48 hours		Above 48 hours		Total		Up to 42 hours		Above 42 up to 45 hours		Above 45 up to 48 hours		Above 48 Hours		Total	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Division of Industries**	
Total	

A – Number of Factories submitting returns

B – Average daily employment

* Average number of hours worked per week means that total actual hours worked by all workers excluding the rest intervals but including overtime work divided by the product of average daily number of workers employed and 52 . In case the Factory has not worked for the whole year, the number of weeks during which the Factory worked should be used in the place of figure 52.

** As per National Industrial Classification 2008. Give Code Number (2 digit) and the Name of Division of Industry.

STATEMENT – X
Inspections

Category of Factories	Number of Factories inspected during the year				Total	Not inspected	Grand Total
	Once	Twice	Thrice	More than three times			
1	2	3	4	5	6	7	8
Other Factories (excluding Defence Factories)							
Defence Factories							
Total							

STATEMENT – XI
Convictions

Name of State/Union Territory	Number of convictions obtained during the year for offences relating to							Total number of Factories against which convictions were obtained	
	Employment and hours of work			Notices' Registers & Returns	Safety	Health and Sanitation (including Welfare)	Others		Total of Columns 2 to 8
	General	Women	Adolescents and Children						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

STATEMENT XII (REVISED)

Safety Officers, Ambulance Rooms, Canteens, Shelters, Rest Rooms, Crèches and Welfare Officers

State.....

For the year ending.....

Industry	Safety Officers					Ambulance		Canteens	
	Number of factories wherein one thousand or more workers are ordinarily employed** & notified for appointment of safety officers	Number of other factories notified for appointment of Safety Officers	Number of Safety Officers required to be appointed	Number of factories which have appointed Safety Officers as required under Section 40-B	Number of Safety Officers appointed	Number of factories wherein more than 500 workers are ordinarily employed **	Number of factories which have provided ambulance room as required under section 45	Number of factories required to provide canteens as per notification under Section 46	Number of factories which have provided canteens as required under Section 46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Division of Industries *									

STATEMENT – XII – conclud.

Industry	Canteens		Shelters, Rest Rooms and Lunch rooms		Crèches		Welfare Officers			
	Number of factories in which canteens are run by the occupiers	Number of factories in which canteens are run by contractors	Number of factories where in more than 150 workers are ordinarily employed **	Number of factories which have provided shelters or rest rooms & lunch rooms as required under	Number of factories where in more than 30 women workers are ordinarily employed **	Number of factories which have provided crèches as required under Section 48	Number of factories where in 500 or more workers are ordinarily employed**	Number of Welfare officers required to be appointed	Number of factories which have provided welfare Officers as required under Section 49	Number of Welfare officers appointed

				Section 47						
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Division of Industries *										
Total										

* As per National Industrial Classification, 2008. Give Code Number (2 digit) and the Name of Division of Industry.

**The term “ordinarily employed” as used in Section 48 of the Factories Act, 1948 would mean “Total number of persons employed in all shifts. This should be over 50% of the number of working days in the establishment.”

STATEMENT XIII (REVISED)

Leave with Wages

For the year ending.....

Name of State/Union Territory	Total number of persons employed during the calendar year *				Number of persons who were entitled to annual leave with wages during the calendar year				Number of persons granted leave during the year				Number of workers who were discharged or dismissed from the service, quit employment or were superannuated, or who died while in service during the year	Number of such workers in respect of whom wages in lieu of leave were paid
	M	W	C	T	M	W	C	T	M	W	C	T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

M – Men.

W – Women.

C – Children. T – Total

- Maximum Number Employed on any day of the year irrespective of the fact whether any person left or was discharged or dismissed from service during the year .

PROFORMA

INSPECTORATE STAFF UNDER THE FACTORIES ACT, 1948 FOR THE YEAR

Category of Inspectors	Sanctioned Strength	Working Strength
1	2	3
1. Chief Inspector of Factories		
2. Deputy Chief Inspector of Factories		
3. Regional Inspector of Factories		
4. Medical Inspector of Factories		
5. Inspector of Factories		
6. Other Field Inspection Staff		
Total		

NOTE:- The consolidated returns (Statements I to XIII) and the Annual Report giving the position of the Inspectorate Staff in the Performa health and safety measures, housing of factory workers, etc., should be submitted complete in all respect before 25th August of succeeding year . The Half-Yearly returns (Statement I to II) for the first half of the year should also reach the Labour Bureau by 30th September of Current year.

कारखाना अधिनियम, 1948

विवरण 1 (संशोधित)

पंजीकृत कारखानों एवं नियोजित कामगारों की संख्या

राज्य.....

.....को समाप्त वर्ष हेतु

कारखानों की श्रेणी	अवधि की शुरुआत में रजिस्टर में कारखानों की संख्या	अवधि के दौरान नये लाईसेंस प्राप्त तथा पंजीकृत कारखानों की संख्या	अवधि के दौरान रजिस्टर से हटाये गये कारखानों की संख्या	अवधि के अंत में रजिस्टर में कारखानों की संख्या	चालू कारखानों की संख्या	विवरणियाँ प्रस्तुत करने वाले कारखानों की संख्या	विवरणियाँ प्रस्तुत करने वाले कारखानों में नियोजित कामगारों की औसत संख्या	विवरणियाँ प्रस्तुत करने वाले कारखानों में अनुमानित औसत दैनिक नियोजन	विवरणियाँ प्रस्तुत न करने वाले कारखानों में औसत दैनिक नियोजन	विवरणियाँ प्रस्तुत न करने वाले तथा प्रस्तुत करने वाले कारखानों में नियोजित औसत दैनिक कामगारों की संख्या (कॉलम 8 एवं 10 का कुल योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
धारा 2 एम (i) के अधीन परिभाषित कारखाने धारा 2 एम (ii) के अधीन परिभाषित कारखाने धारा 85 के अधीन परिभाषित कारखाने										
कुल योग										

विवरण 1-क (संशोधित)

धारा 87 के अन्तर्गत खतरनाक घोषित प्रकार्यों अथवा परिचालनों में कार्यरत कारखानें तथा इस प्रकार के परिचालनों में नियोजित कामगार

राज्य.....

..... को समाप्त वर्ष के लिये

उद्योग उद्योगों का प्रभाग *	खतरनाक प्रकार्य अथवा परिचालन	चालू कारखानों की संख्या	समस्त कारखानों में नियोजित कामगारों की औसत दैनिक संख्या	खतरनाक घोषित प्रकार्य अथवा परिचालनों में समर्थ कामगारों की औसत दैनिक संख्या
1	2	3	4	5

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार। कोड संख्या (दो अंकीय) तथा उद्योग के प्रभाग का नाम लिखें।

विवरण II (संशोधित)

चालू कारखानों तथा चालू कारखानों में नियोजित कामगारों की संख्या

राज्य.....

..... को समाप्त वर्ष के लिये

उद्योग*	चालू कारखानों की कुल संख्या	विवरणियाँ प्रस्तुत करने वाले कारखानों													
		विवरणियाँ प्रस्तुत करने वाले कारखानों की कुल संख्या	ओवरटाईम घंटों सहित कार्य किये गये श्रम घंटों की संख्या				वर्ष के दौरान कार्य किये गये कुल श्रम दिवस	नियोजित कामगारों की कुल औसत दैनिक संख्या							
			पुरुष	महिला	बच्चे	कुल		कुल	वयस्क	किशोर	बच्चे	लड़के	लड़कियाँ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
सरकारी एवं स्थानीय निधि (सार्वजनिक क्षेत्र)**															
0) उद्योग का भाग (एक अंकीय)															
00) उद्योगों का प्रभाग (दो अंकीय)															
000) उद्योगों का समूह (तीन अंकीय)															
00000) उद्योगों के प्रत्येक प्रभाग के तहत उद्योगों की श्रेणी (पांच अंकीय)															

कुल – सभी उद्योग (उद्योगों की समस्त भागों सहित) सरकारी तथा स्थानीय निधि से चलने वाले कारखानें।																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार। उद्योग का नाम एवं कोड संख्या लिखें।

** सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की कवरेज

1. सार्वजनिक तथा स्थानीय निधि से चलित कारखाने (सार्वजनिक क्षेत्र)

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान का अर्थ ऐसे प्रतिष्ठान से है जिसका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन निम्न के द्वारा हो

(i) सरकार अथवा सरकार के किसी विभाग;

(ii) कोई सरकारी कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अन्तर्गत परिभाषित हो;

(iii) कोई निगम (सहकारी समिति सहित) जिसकी स्थापना किसी केन्द्रीय, प्रांतीय अथवा किसी राज्य अधिनियम के तहत हुई हो, जिसका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन सरकार के द्वारा हो, और (iv) कोई स्थानीय प्राधिकारी

II. अन्य कारखानें (निजी क्षेत्र)

निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठान से अभिप्राय किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

विवरण II (संशोधित).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	विवरणियाँ प्रस्तुत न करने वाले कारखानें		18
																चालू कारखानों की कुल संख्या	इस प्रकार के कारखानों में नियोजित कामगारों की अनुमानित औसत दैनिक संख्या	
सरकारी एवं स्थानीय निधि से संचालित कारखानें (सार्वजनिक क्षेत्र)																		
(0) उद्योग का भाग (एक अंकीय)																		
00) उद्योगों का प्रभाग (दो अंकीय)																		
000) उद्योगों का समूह (तीन अंकीय)																		
00000) उद्योगों के प्रत्येक प्रभाग के तहत उद्योगों की श्रेणी (पांच अंकीय)																		
कुल – सभी उद्योग (उद्योगों की समस्त भागों सहित) सरकारी तथा स्थानीय निधि से चलने वाले कारखानें।																		
अन्य कारखानें (निजी क्षेत्र)																		
सरकारी तथा स्थानीय निधि से संचालित कारखानों के लिये																		

कुल – सभी उद्योग (उद्योगों के सभी प्रभागों सहित) अन्य कारखानें

कुल योग- सभी उद्योग (सभी प्रभागों सहित अर्थात् निजी + सार्वजनिक)

विवरण III

कामगारों की संख्या के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने वाले चालू कारखानों का वितरण

राज्य.....

..... को समाप्त वर्ष के लिये

उद्योग	10 कामगारो से कम		10 या इससे अधिक परंतु 20 से कम कामगार		20 या इससे अधिक परंतु 50 से कम कामगार		50 या इससे अधिक परंतु 100 से कम कामगार		100 या इससे अधिक परंतु 500 से कम कामगार		500 या इससे अधिक परंतु 1000 से कम कामगार		1000 या इससे अधिक परंतु 5000 से कम कामगार		5000 या इससे अधिक कामगार		कुल		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
उद्योगों के प्रभाग																			
कुल																			

विवरण IV

कार्य किये गये कार्यदिवसों के अनुसार विवरणी प्रस्तुत करने वाले चालू कारखानों का वितरण

राज्य.....

..... को समाप्त वर्ष के लिये.....

उद्योग	60 दिन अथवा इससे कम		60 से ज्यादा परंतु 120 दिनों से कम		120 से ज्यादा परंतु 180 दिनों से कम		180 से ज्यादा परंतु 240 दिनों से कम		240 से ज्यादा परंतु 300 दिनों से कम		300 दिनों से ज्यादा		कुल	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उद्योगों का प्रभाग*														
कुल														

अ - कारखानों की संख्या

ब - नियोजित कामगारों की औसत दैनिक संख्या

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार उद्योग के प्रभाग का नाम एवं कोड संख्या (2 अंकीय) लिखें।

विवरण - V

विवरणी प्रस्तुत करने वाले कारखानों में घातक एवं गैर-घातक दुर्घटनाएं

राज्य :-.....

..... को समाप्त वर्ष के लिये

उद्योग	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गैर-घातक दुर्घटनाओं की संख्या	चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाएं जहाँ कामगार काम पर लौट आये			
			चालू वर्ष के दौरान दुर्घटनाएं		पिछले वर्ष के दौरान दुर्घटनाएं	
			संख्या	श्रम दिवसों की हानि	संख्या	कार्य दिवसों की हानि
1	2	3	4	5	6	7
उद्योगों का प्रभाग*						
कुल						

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार उद्योग के प्रभाग का नाम एवं कोड संख्या (2 अंकीय) लिखें।

विवरण-VI

कारणों द्वारा दुर्घटनाओं का विश्लेषण

राज्य.....

..... को समाप्त वर्ष के लिये

उद्योग	प्राइम मूवर्स, स्टीम, गैस तथा अन्य इंजन, इलैक्ट्रिक मोटर (इलैक्ट्रिक)	मैकेनिकल पावर द्वारा चलित मशीनरी						कैलेंडर्स मिक्सर्स के रॉलर्स इत्यादि जोकि धातु अथवा लकड़ी	अन्य	
		ट्रांसमिशन मशीनरी		लिफ्टिंग मशीनरी	मैटल वर्किंग हेतु मशीन टूल्स		वुड वर्किंग मशीनरी			
		शिफ्टिंग	बेल्ट, रोप्स,		पावर प्रेस (पंच	अन्य	सर्कुलर साँ			प्लेनिंग

	शॉक्स नहीं)		पुली तथा गियरिंग		के अलावा)		(सभी प्रकार के)		मशीन		स्पिंडल मॉल्डिंग मशीन		के कार्य हेतु न हो ("एनआईपी") दुर्घटनाएं											
	101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
उद्योगों का प्रभाग*																								
कुल																								

विवरण – VI जारी

उद्योग	परिवहन (बिजली द्वारा परिचालित अथवा नहीं)								अन्य															
	रेलवे				अन्य वाहन(हैंड ट्रकों, बोगियों इत्यादि को छोड़कर)				बिजली		विस्फोट		आग		गैसिंग		तरल धातु,अन्य गर्म अथवा संक्षारक पदार्थ		यांत्रिक ऊर्जा द्वारा परिचालित नहीं की जाने वाली मशीनरी					
	विद्युत उपमार्ग		मैनुअली उपमार्ग		बिजली द्वारा चालित		मैनुअली संचालित												लिफ्टिंग		अन्य			
	113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123			
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख						
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47		

उद्योगों का विभाजन*	
कुल	

विवरण – VI जारी

उद्योग	हैंड टूल्ज का प्रयोग		अन्य										अन्य		कुल चोटें			
			ढांचे के गिरने से प्रभावित	व्यक्तियों का गिरना						वस्तु पर पैर रखना या उससे टकराना	वस्तुओं या पदार्थों को सौंपना			क	ख			
				ऊंचाई से गिरना		फ्लैट पर गिरना		गड्ढों इत्यादि में गिरना										
	124		125		126		127		128		129		130		131		132	
क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	
1	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
उद्योगों का विभाजन*																		
कुल																		

विवरण VII

आयु और लिंग द्वारा विश्लेषित दुर्घटनाएं

राज्य.....

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

उद्योग	दुर्घटनाओं की संख्या													
	वयस्क				किशोर				बच्चे				कुल	
	पुरुष		महिला		पुरुष		महिला		लड़के		लड़कियां			
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उद्योगों का विभाजन*														

कुल	
-----	--

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार में कोड संख्या (2 अंकों की) और उद्योगों के प्रभाग का नाम दें।

क- घातक दुर्घटनाएं ख - गैर-घातक दुर्घटनाएं

विवरण - VIII (संशोधित)

धारा 89 के तहत अधिसूचित विषाक्तता और बीमारियों के मामलों की संख्या

राज्य

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

उद्योग	सीसा विषाक्तता	सीसा टेट्राएथिल विषाक्तता	फॉस्फोरस विषाक्तता	पारा विषाक्तता	मैंगनीज़ विषाक्तता	आर्सेनिक विषाक्तता	नाइट्रस धुएं से विषाक्तता	कार्बन बाइ- सल्फाइड विषाक्तता	बेंज़ीन विषाक्तता	क्रोम अल्सरेशन	एंथ्रेक्स	सिलिकोसिस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उद्योगों का विभाजन*												
कुल												

विवरण - VIII (जारी)

उद्योग	हलोजन या उनके व्युत्पन्नों द्वारा विषाक्तता	रेडियोधर्मी पदार्थों अथवा एक्स-रे के कारण रोग सम्बंधी अभिव्यक्तियाँ	त्वचा संबंधी प्राथमिक एपिथेलियोमैटस कैंसर	टाक्सिक अनीमीअ	विषैला पीलिया	ऑयल कैंसर या त्वचाशोथ	बाँयसोनोसिस	व्यावसायिक या संस्पर्शी त्वचाशोथ	शोर की वजह से सुनने की कमी	एस्बेस्टोसिस	कुल
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
उद्योगों का विभाजन*											
कुल											

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार। कोड संख्या (2 अंकों तक) और औद्योगिक प्रभाग का नाम दें।

विवरण - IX

*प्रति सप्ताह काम के घण्टों की औसत संख्या के अनुसार रिटर्न को जमा करने वाले कारखानों और उनके रोजगार का विभाजन

राज्य

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

उद्योग	वयस्क पुरुषों हेतु										वयस्क महिलाओं के लिए 42 घंटों तक											
	42 घण्टों तक		42 से अधिक 45 घण्टों तक		45 से अधिक 48 घण्टों तक		48 घण्टों से अधिक		कुल		42 घण्टों तक		42 से अधिक 45 घण्टों तक		45 से अधिक 48 घण्टों तक		48 घण्टों से अधिक		कुल			
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
उद्योगों का विभाजन**																						
कुल																						

क- रिटर्न जमा करने वाले कारखानों की संख्या

ख- औसत दैनिक रोजगार

* प्रति सप्ताह काम किए गए घण्टों की औसत सं. का मतलब है कि विश्राम अंतराल को छोड़कर सभी श्रमिकों द्वारा किए गए काम के कुल वास्तविक घंटे, लेकिन नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक सं. और 52 के उत्पाद से विभाजित ओवरटाइम काम शामिल है। यदि कारखानों ने पूरे वर्ष के लिए काम नहीं किया है तो जितने हफ्तों के दौरान कारखाने ने काम किया है उसकी संख्या 52 के स्थान पर होनी चाहिए।

** राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार। कोड संख्या (2 अंकों तक) और औद्योगिक प्रभाग का नाम दें।

विवरण - X

निरीक्षण

राज्य

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

कारखानों की श्रेणी	वर्ष के दौरान निरीक्षित कारखानों की संख्या				कुल	गैर निरीक्षित	सकल योग
	एक बार	दो बार	तीन बार	तीन बार से अधिक			
1	2	3	4	5	6	7	8
अन्य कारखाने (रक्षा कारखानों को छोड़कर)							
रक्षा कारखाने							
कुल							

विवरण – XI
अभिंसाएं

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष के दौरान किए गए अपराधों से संबंधित की गई अभिंसाओं की सं.								जिन कारखानों के विरुद्ध अभिंसाएं की गई थीं उनकी संख्या
	रोज़गार और कार्य के घण्टे			नोटिस, रजिस्टर और रिटर्न	सुरक्षा	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (कल्याण सहित)	अन्य	कॉलम 2 से 8 का योग	
	सामान्य	महिला	किशोर और बच्चे						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

विवरण XII (पुनःसंशोधित)

सुरक्षा अधिकारी, एंबुलेंस कक्ष, कैंटीन, शैल्टर, विश्राम गृह, क्रैच और कल्याण अधिकारी

राज्य.....

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

उद्योग	सुरक्षा अधिकारी					एंबुलेंस		कैंटीन	
	उन कारखानों की संख्या जिनमें 1000 या उससे अधिक कामगार सामान्यतः नियोजित** हैं और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु अधिसूचित किए गए हैं	सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिसूचित अन्य कारखानों की संख्या	नियुक्त किए जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	धारा 40-बी के तहत यथाअपेक्षित सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त करने वाले कारखानों की संख्या	नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की संख्या	उन कारखानों की संख्या जिनमें 500 से अधिक कामगार सामान्यतः नियोजित हैं**	धारा 45 के तहत यथाअपेक्षित एंबुलेंस कक्ष उपलब्ध कराने वाले कारखानों की संख्या	धारा 46 के तहत अधिसूचना के अनुसार कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले कारखानों की संख्या	धारा 46 के तहत अपेक्षित कैंटीन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले कारखानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उद्योगों का विभाजन*									

विवरण – XII – जारी.

उद्योग	कैंटीन		शैल्टर या रैस्ट रूम या लंच रूम		क्रैच		कल्याण अधिकारी			
	अधिभोगियों द्वारा चलाई जाने वाली कैंटीन युक्त कारखानों की संख्या	कारखानों की संख्या जिनमें कैंटीनें ठेकेदारों द्वारा चलाई जाती हैं	उन कारखानों की संख्या जिनमें 150 से अधिक कामगार सामान्यतः नियोजित हैं**	धारा 47 के तहत यथाअपेक्षित शैल्टर या रैस्ट रूम या लंच रूम उपलब्ध कराने वाले कारखानों की संख्या	उन कारखानों की संख्या जिनमें 30 से ज्यादा महिला कामगार सामान्यतः नियोजित हैं**	धारा 48 के तहत यथाअपेक्षित क्रैच उपलब्ध कराने वाले कारखानों की संख्या	उन कारखानों की संख्या जिनमें 500 या उससे अधिक कामगार सामान्यतः नियोजित हैं**	नियुक्त किए जाने वाले अपेक्षित कल्याण अधिकारियों की संख्या	धारा 49 के तहत यथाअपेक्षित कल्याण अधिकारियों की व्यवस्था करने वाले कारखानों की संख्या	नियुक्त किए गये कल्याण अधिकारियों की संख्या
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
उद्योगों का विभाजन*										
योग										

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 2008 के अनुसार। कोड संख्या (2 अंकों तक) और औद्योगिक प्रभाग का नाम दें।

**कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 48 में प्रयोग किए अनुसार "सामान्यतः नियोजित" शब्द से अभिप्राय "सभी पारियों में नियोजित कार्यरत व्यक्तियों की कुल संख्या है। यह स्थापना में कार्य दिवसों की संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए।"

विवरण XIII (संशोधित)
मज़दूरी सहित अवकाश

.....को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	कैलेंडर वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या *				कैलेंडर वर्ष के दौरान मज़दूरी सहित वार्षिक अवकाश के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या				वर्ष के दौरान अवकाश प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या				वर्ष के दौरान सेवामुक्त, सेवा से बर्खास्त या निकाले गये, रोज़गार छोड़ने वाले या सेवानिवृत्ति प्राप्त या सेवा के दौरान मरने वाले कामगारों की संख्या	ऐसे श्रमिकों की संख्या जिनके संबंध में छुट्टी के बदले मज़दूरी का भुगतान किया गया था
	पु.	म.	ब.	कु.	पु.	म.	ब.	कु.	पु.	म.	ब.	कु.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

पु. - पुरुष

म. - महिलाएं

ब - बच्चे.

कु. - कुल

- वर्ष के किसी भी दिन नियोजित अधिकतम सं., इस तथ्य के अलावा कि चाहे कोई व्यक्ति वर्ष के दौरान सेवामुक्त हो गया हो या नौकरी छोड़ कर चला गया हो या सेवा से बर्खास्त हुआ हो।

प्रपत्र

..... वर्ष हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निरीक्षणालय स्टाफ

निरीक्षकों की श्रेणी	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
1	2	3
1. कारखाना मुख्य निरीक्षक		
2. कारखाना उप मुख्य निरीक्षक		
3. कारखाना क्षेत्रीय निरीक्षक		
4. कारखाना चिकित्सा निरीक्षक		
5. कारखाना निरीक्षक		
6. अन्य फील्ड निरीक्षक स्टाफ		
कुल		

नोट: स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों, कारखाना श्रमिक आवास इत्यादि पूरी तरह से भरे हुए प्रपत्र में निरीक्षणालय स्टाफ की स्थिति बताते हुए समेकित रिटर्न (विवरणियां 1 से XIII) और वार्षिक रिपोर्ट, आगामी वर्ष की 25 अगस्त से पूर्व जमा की जानी चाहिये। वर्ष के प्रथम आधे हिस्से हेतु अर्ध-वार्षिक रिटर्न(सूची I से II) भी श्रम ब्यूरो में वर्तमान वर्ष की 30 सितंबर तक पहुँच जानी चाहिए।